न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी – राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 410/2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा –88 आरटीए

हरमेश सिंह पुत्र भूरसिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया

वादी

बनाम

1 भूरसिंह पुत्र ताराचन्द जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया
2 सुनीता कौर पत्नी जगदीश पुत्री भूरसिंह जाति अराई निवासी मूनक तहसील मूनक जिला संगरूर
3 रचना कौर पुत्री भूरसिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया
4 श्रीमान तहसीलदार राजस्व महोदय, संगरिया जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री नवरत्न स्वामी वकील वादी
2– श्री कन्हैयाला स्वामी – वकील प्रति सं. 1 ता 3
3– तहसीलदार राजस्व संगरिया– राज–पैरोकार प्रति संख्या 4

निर्णय दिनाक – 2.8.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 भूरसिह पुत्र ताराचन्द तहसील राजस्व संगरिया के चक नं. 18 एमकेएस खाता सं. 57/36 में कुल खाता 3.795है. में से 2/9 हिस्सा यानि 0.843है. व चक नं. 15 एमकेएस खाता सं. 52/32 में कुल खाता 3.542है. में से 1/4 हिस्सा यानि [illegible] 8855है. व चक नं. 17 एमकेएस खाता सं. 51/10 में कुल खाता 6.072है. में से [illegible] हिस्सा यानि 1.012है. नहरी कृषि भूमि का विरास्तन खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबंदीया हमराह दावा प्रस्तुत है। उक्त समस्त कृषि भूमि हमारी विरास्तन कृषि भूमि है जिममें मुझ वादी एवं प्रतिवादीया सं. 2 व 3 का जन्मजात हक व हिस्सा है। प्रतिवादीया सं. 2 व 3 मेरी बहने है। प्रतिवादीया सं. 2 व 3 उक्त विरास्तन कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है। उन्होंने अपने विरास्तन हक हिस्सा का परित्याग कर दिया है। वादी अपने परिवार सहित पिता प्रतिवादी सं. 1 से अलग रहता है तथा मुख्य पेशा कृषि है। किंतु उक्त समस्त विरास्तन कृषि भूमि पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम होने के कारण मुझ वादी को बीज खाद आदि का [illegible] असुविधा होती ह। इसलिए मैं वादी अपना जन्मजात [illegible] काश्तकार घोषित करवाने का हकदार व दावेदार हू। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य घरूतौर पर अच्छी मंदी के अनुसार बंटवारा हो चुका है। मुताबिक [illegible] वादी के हिस्सा में चक नं. 18 एमकेएस खाता सं. 57/36 में कुल खाता 3.795है. [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku[illegible] Meena
Date: 2024.09.07 11:57:47 IS[illegible]
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

से 2/9 हिस्सा यानि 0.843है. व चक नं. 15 एमकेएस खाता सं. 52/32 में कुल खाता 3.542है. में से 1/4 हिस्सा यानि 0.8855है. कृषि भूमि हिस्सा में आई है व पिता प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा के चक नं. 17 एमकेएस खाता सं. 51/10 में कुल खाता 6.072है. में से 1/6 हिस्सा यानि 1.012है. नहरी कृषि भूमि आई है। उक्त घरूबंटवारा मुताबिक हक हिस्सा में आई कृषि भूमि वादी के कब्जाकाश्त में है जिसका वादी विरास्तन खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का हकदार एवं दावेदार है। वादी ने कई दफा प्रतिवादी सं. 1 से अनुनय विनय की कि मेरा जन्मजात हिस्सा मुताबिक घरूबंटवारा के चक नं. 18 एमकेएस खाता सं. 57/36 में कुल खाता 3.795है. में से 2/9 हिस्सा यानि 0.843है. व चक नं. 15 एमकेएस खाता सं. 52/32 में कुल खाता 3.542है. में से 1/4 हिस्सा यानि 0.8855 है. नहरी कृषि भूमि का मुझ वादी को विरास्तन खातेदार काश्तकार मान लेवे व इसीअनुसार राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम से अमल दरामद करवा लेवे। किंतु प्रतिवादी पहले तो टाल मटोल करते रहे एवं अंत में पिछले सप्ताह ऐसा करने से कतई इनकार कर दिया बस यही विनाय दावा है। वादी पत्र की चरण सं. 2 में दर्ज समस्त कृषि भूमि हमारी विरास्तन है। जिसमें मुझ वादी का जन्मजात हिस्सा है। वादी अपने पिता प्रतिवादी सं. 1 से अलग रह कर घरूबंटवारा मुताबिक हक हिस्सा में आई कृषि भूमि पर काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उक्त कृषि भूमि को काश्त करने हेतु बीज खाद हेतु बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता बनी रहती है। अतः वादी को घरूबंटवारा मुताबिक हिस्सा में आई कृषि भूमि का विरास्तन काश्तकार खातेदार घोषित नहीं किया गया तो वादी को कभी न पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धन से न हो सकेगी। प्रतिवादी सं. 4 से किसी प्रकार डायरेक्ट अनुतोष नहीं चाहा गया है, भूमि धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

लिहाजा वाद वादी पेश कर निवेदन है कि बाद तहकीकात वाद वादी निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावे कि चक नं. 18 एमकेएस खाता सं. 57/36 में कुल खाता 3.795है. में से 2/9 हिस्सा व चक नं. 15 एमकेएस खाता सं. 52/32 में कुल खाता 3.542है. में से 1/4 हिस्सा नहरी कृषि भूमि का विरास्तन खातेदार काश्तकार है। चक नं. 18 एमकेएस खाता सं. 57/36 में व चक नं. 15 एमकेएस खाता सं. 52/32 में प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर गिरदावर की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना इकबालदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:57:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

इकबालदावा के साथ आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित पेश कि है। प्रतिवादी संख्या 4 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी हरमेश सिंह ने अपना शपत्र पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एव प्रतिवादी ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एव प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने फार्म न 3 के साथ चक 18 एमकेएस खाता संख्या 57/36 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 व चक 17 एमकेएस खाता संख्या 51/10 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 एवं चक 15 एमकेएस खाता संख्या 52/32 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 पेश की गई है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 18 एमकेएस खाता संख्या 57/36 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 व चक 17 एमकेएस खाता संख्या 51/10 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 एवं चक 15 एमकेएस खाता संख्या 52/32 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 मे दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादी व प्रतिवादी आपस मे सहमत है और सहमति का इकबाल दावा भी पेश हो चुके है तथा वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 सगे भाई बहन है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार चक 18 एमकेएस खाता संख्या 57/36 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 व चक 17 एमकेएस खाता संख्या 51/10 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 एवं चक 15 एमकेएस खाता संख्या 52/32 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में दर्ज है आराजी प्रतिवादी संख्या 1 भूरसिंह पुत्र ताराचन्द के नाम दर्ज है तथा वादी के चक नं. 18 एमकेएस खाता सं. 57/36 में कुल खाता 3.795है. में से 2/9 हिस्सा यानि 0.843है. व चक नं. 15 एमकेएस खाता सं. 52/32 मे कुल खाता 3.542है. में से 1/4 हिस्सा यानि 0.8855है. कृषि भूमि एव पिता प्रतिवादी स. 1 के हिस्सा मे चक नं. 17 एमकेएस खाता सं. 51/10 में कुल खाता 6.072है. मे से 1/6 हिस्सा यानि 1.012है. नहरी कृषि भूमि आई [illegible] प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 के द्वारा प्रस्तुत इकबालदावा एवं वाद पत्र [illegible] है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं [illegible] का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाब दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.07 11:57:47
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– प्रतिवादी संख्या 1 भूर सिह पुत्र ताराचन्द के नाम चक 18 एमकेएस खाता संख्या 57/36 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 व चक 17 एमकेएस खाता संख्या 51/10 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 एवं चक 15 एमकेएस खाता संख्या 52/32 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 सांझा खाता में दर्ज आराजी मे से वादी को चक नं. 18 एमकेएस खाता सं. 57/36 में कुल खाता 3.795है. में से 2/9 हिस्सा यानि 0.843है. व चक नं. 15 एमकेएस खाता सं. 52/32 में कुल खाता 3.542है. में से 1/4 हिस्सा यानि 0.8855है. कृषि भूमि एवं पिता प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा में चक नं. 17 एमकेएस खाता सं. 51/10 में कुल खाता 6.072है. में से 1/6 हिस्सा यानि 1.012है. आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 उक्तानुसार हिस्सा कम/कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 2.8.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:57:47 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमे ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी.संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

प्रकरण संख्या– 410 / 2024

हरमेश सिंह पुत्र भूरासिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया

वादी

बनाम

1. भूरसिंह पुत्र ताराचन्द जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया
2. सुनीता कौर पत्नी जगदीश पुत्री भूरसिंह जाति अराई निवासी मूनक तहसील मूनक जिला संगरूर
3. रानी कौर पुत्री भूरसिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया
4. श्रीमान तहसीलदार राजस्व महोदय. संगरिया जिला हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कन्हेयालाल स्वामी वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 भूर सिंह पुत्र ताराचन्द के नाम चक 18 एमकेएस खाता संख्या 57 / 36 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 व चक 17 एमकेएस खाता संख्या 51 / 10 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 एवं चक 15 एमकेएस खाता संख्या 52 / 32 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 सांझा खाता में दर्ज आराजी मे से वादी को चक नं. 18 एमकेएस खाता सं. 57 / 36 में कुल खाता 3.795है. में से 2 / 9 हिस्सा यानि 0.843है. व चक नं. 15 एमकेएस खाता सं. 52 / 32 में कुल खाता 3.542है. में से 1 / 4 हिस्सा यानि 0.8855है. कृषि भूमि एवं पिता प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा में चक नं. 17 एमकेएस खाता सं. 51 / 10 में कुल खाता 6.072है. में से 1 / 6 हिस्सा यानि 1.012है. आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 उक्तानुसार हिस्सा कम / कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....X.....नल.......X.....मुब्लिक.......X.....निल.......X.....बाबत.....X.....निल.......खर्चा

मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख X

अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28.8.24 .... को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:57:47 IST
Reason: SelfAttested